

**-:प्रेस नोट दिनांक 18.07.22:-
थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।**

दिनांक 17.07.22 को थाना फरीदपुर के ग्राम धीरपुर में हुई महिला की हत्या का खुलासा, पति ही निकला कातिल । कब्जे से आला कल्ल बांका बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बरेली व क्षेत्राधिकारी फरीदपुर जनपद बरेली के कुशल नेतृत्व में थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 435/2022 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त विष्णु यादव पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम धीरपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली को जायरत दिल्ली लखनऊ हाइवे से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 435/2022 धारा 302 भादवि

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा बांके से अपनी पत्नी रिन्की उम्र करीब 35 वर्ष की गर्दन, चेहरे व सिर पर वार कर निर्मम हत्या कर देना।

गिफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. विष्णु यादव पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम धीरपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।

पूछताछ:-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 17.07.2022 की रात्रि अपनी पत्नी रिन्की को अवैध संबंधों के शक पर, हत्या करना स्वीकार किया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कल्ल एक अदद बांका व रक्तरंजित गमछा व शर्ट बरामद कराया ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद बांका आला कल्ल, गमछा व शर्ट बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. राजेश कुमार थाना प्रभारी थाना फरीदपुर जनपद बरेली
2. उ0नि0 गौरव कुमार थाना फरीदपुर बरेली।
3. उ0नि0 संजीव त्यागी थाना फरीदपुर, बरेली।
4. का0 251 अनीपाल थाना फरीदपुर, बरेली।
5. चालक राजकुमार थाना फरीदपुर, बरेली।